

it will help us promote self-reliance programmes which the Minister of Planning and others in the Government want to achieve during the next Five Year Plan period.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: As far as the consortium commitments are concerned, normally some pledges are made in the course of the discussions but ultimately when it comes to disbursements or sanctions it is done in a bilateral manner at Government level; certain agreements are reached. Of course the other part of the question refers to our general strategy on taking foreign aid. We have explained it before; our idea is to see that our net aid reaches zero at the end of the Fifth Plan and it is on that basis that we will be proceeding this year.

नागरिक उड्डयन मंडल (सी० ए० बी०) के प्रवर्तन ब्यूरो द्वारा एयर इंडिया के विरुद्ध युबक किराया टिकट अधिक आयु के यात्रियों को बेचने का आरोप

* 1068. श्री शिव कुमार शास्त्री :

श्री भगीरथ भंवर :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिक उड्डयन मण्डल (सी० ए० बी०) के प्रवर्तन ब्यूरो ने एयर इंडिया पर वह आरोप लगाया है कि उसने गैर-कानूनी ढंग से युबक किराया टिकट अधिक आयु के लोगों को बेचे हैं ;

(ख) क्या एयर इंडिया के विरुद्ध वह भी आरोप है कि उसने लंदन और न्यूयार्क के बीच यात्रा के लिये 93 टिकट कम मूल्य पर बेचे हैं ?

(ग) क्या यह आरोप केवल एयर इंडिया पर ही लगाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH): (a) and (b). The U.S., Civil Aeronautics Board has alleged that Air India infringed in certain ticketing regulations and wrongly agreed to pay some extra commission to a travel agency in order to persuade passengers to fly Air India. The complaint itself,

however, indicates that this extra commission was not in fact paid.

(c) The information is not available.

(d) Air India is preparing its reply to the complaint and its stand is that it has not violated the Federal Aviation Act.

श्री शिव कुमार शास्त्री: श्रीमन्, शिकायत के ढंग से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रायः इस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप नागरिक उड्डयन की ओर से विभिन्न विमान सेवाओं पर लगाये जाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ-क्या इस प्रकार का प्रयत्न किया गया है कि सब के लिये एक प्रकार के नियम निर्धारित किये जायें और सब की यात्री बिना किसी संघर्ष और खीचातानी के प्राप्त हो सकें? यदि प्रयत्न किया गया है तो उस का क्या परिणाम निकला ?

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, हर एक देश की अपनी अपनी सिविल एवियेशन अथॉरिटीज होती हैं, वे जब भी समझती हैं कि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो वे उस के प्रति अपनी कार्यवाही करती हैं-ऐसा सारे संसार में होता है।

जहां तक फेअर्स का प्रश्न है-इयाटा प्रयत्न कर रहा है कि फेअर्स के सम्बन्ध में जो संघर्ष है वह दूर हो और वह प्रयत्न अभी जारी है।

श्री शिव कुमार शास्त्री : आप के उत्तर से एक अंश स्पष्ट नहीं होता। आप ने उस एजेन्सी को जिस के द्वारा कुछ मुसाफिर लाने के लिये यत्न किया गया था, पैसा नहीं दिया, शायद बातचीत की गई थी। यदि नहीं की गई थी तो तो वह अंश भी स्पष्ट होता चाहिये।

दूसरी बात में यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में आप के विमानों की जो क्षमता है, उतने यात्री आप को मिल जाते हैं? यदि नहीं मिलते तो कितनी कमी रह जाती है और उस से कितनी क्षति होती है ?

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो एक विशेष केस है जो सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड के सामने है। एअर इंडिया का इस सम्बन्ध में जो अपना डिफेंस है, वह उसको बना रहा है और जो उस को कहना होगा, वह कहेगा।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है वह मुझे सम्मत्त में नहीं आया। हर विमान सेवा का यह यत्न होता है कि उस के विमान पूरे भरे हुए जायें। एअर इंडिया का सारे संसार में इस समय अच्छा इमेज है।

श्री शिव कुमार शारदा : मान लीजिये आप के एक विमान में 100 यात्रि जा सकते हैं—यत्न करने पर भी क्या उतने यात्री उपलब्ध हो जाते हैं या कुछ स्थान खाली जाते हैं।

डा० कर्ण सिंह : सेंकड़ों फ्लाइट्स हैं कुछ भरी हुई जाती हैं, कुछ आधी जाती हैं—यह कहना सम्भव नहीं है। हम यत्न करते हैं कि सभी भरी हुई जायें।

SHRI PRABODH CHANDRA: Since the hon. Minister has just now stated that the Air India is now making its defence, was it not very discourteous on the part of the Association to go to the Press and vilify Air India's great service when the case has not been finalised by the competent Court?

DR. KARAN SINGH: I do not know who went to the Press actually. But, indeed this is one of the occupational hazards. When the case is pending and when someone goes to the press, I must, in order to set the record straight, say here that Air India has got a very good image in the world.

मुझे एक शेर याद आया —

हम ग्राह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।

सफाई कर्मचारियों का जीवन बीमा

* 1069. श्री शंकर दयाल सिंह :†

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की रूपा करेगा कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 अप्रैल, 1973 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम सफाई कर्मचारियों का बीमा नहीं करता क्योंकि वे सरलता से रोगग्रस्त हो सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिबन्ध को हट के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां।

(ख) जिन प्रस्तावों में अत्यधिक जोखिम प्रस्तुत होती है, जैसे नालियों के मोखों से निकलने वाली जहरीली गैस और भूमिगत अन्त्य दुर्घटनाओं से सम्बन्धित जोखिमों के मामलों को छोड़ कर, अन्य मामलों में जीवन बीमा निगम, बीमे की अधिकांश योजनाओं के अन्तर्गत झाड़कणों और सफाई कर्मचारियों के जीवन बीमे के प्रस्ताव सामान्य दरों पर स्वीकार करता है।

श्रीमती सावित्री श्याम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि यह संविधान की या एल०आर०सी० की किस धारा के अन्तर्गत कि उन के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया जाय, जो अधिक रिस्क में काम करे, जोखिम में काम करे, चाहे मेन होल में या नाइट स्वाएल उठाये-उन को सोशल सिक्योरिटी प्रदान न की जाय ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, जैसा कि उत्तर से स्पष्ट है कि इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और सभी सफाई कर्मचारियों को उसी स्टेण्डर्ड रेट फ्रॉफ प्रीमियम पर इन्शोरेंस किया जाता है। लेकिन जहां ज्यादा जोखिम है, जैसे जमीन के नीचे मेन होल्ड है, अण्डर-ग्राउण्ड ड्रेनेज है, जहां जहरीली गैस होती है, वहां सुरक्षा के प्रयास किये जाते हैं। जैसे बम्बई कारपोरेशन ने उनके लिये एक विशेष स्कूड बनाया हुआ है, जहां समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। वहां यह भी देखा गया है कि पिछले पांच वर्षों के अन्दर इस प्रकार की "कोई ऐसी" दुर्घटना नहीं हुई है, वहां जोखिम का काम होने पर भी इस प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, सामान्य दरों पर इन्शोरेंस हुआ है।

जहां तक माननीय सदस्या ने कहा कि जहां ज्यादा जोखिम होता है तो वहां मेरिट पर यह चीज देवी जाती है।